

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.17(1)नविवि/अभियान/2021


जयपुर, दिनांक:- 30 SEP 2023

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की अवधि दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

अभियान अवधि दिनांक 31.03.2024 तक सभी निकायों (प्राधिकरण/न्यास/निगम/ परिषद/पालिका) में प्राप्त ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन पत्र/ प्रार्थना पत्र/ लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में अभियान अवधि में जारी की गई अधिसूचनाएँ/आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण तथा विभिन्न छूटें, शिथिलताएँ एवं शक्तियाँ यथावत लागू रहेंगी।

यह आदेश समक्ष स्तर से अनुमोदित है।



30/9/23

(के.सी मीना)

शासन सचिव

स्वायत्त शासन विभाग

राज्यपाल की आज्ञा से


30/9/23

(टी रविकांत)

प्रमुख शासन सचिव

नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
8. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर एवं आवासन मण्डल।
12. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नविवि।
13. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
16. सचिव नगर विकास न्यास समस्त राजस्थान।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम